भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

*****

भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना हमारी धरोहर के लिए प्रचालन संबंधी दिशा–निर्देश 2017 (28.09.2017 से लागू)

मंत्रालय इस योजना के अधीन विचार की जाने वाली परियोजना के लिए और एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड का अनुसरण करेगा :

1. पात्र संगठन

(क) राज्य पुरातत्व विभाग/एजेंसियां

(ख) राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगठन, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हो तथा विरासत के ऐसे क्यूरेटिंग कार्यों का अनुभव रखता हो।

(ग) प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों, तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों।

(घ) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों, तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों।

(ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शोध संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(च) केंद्र/राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(छ) सांस्कृतिक एवं विरासत के महत्व की मदों का संरक्षण एवं क्यूरेशन में लगे ट्रस्ट, कंपनियां, भागीदारी फर्म अथवा सोसाइटियां जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हो।

2. पात्रता शर्तें

(i) संगठन/संस्थान के पास न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव होना चाहिए।

(ii) संगठन/संस्थान के पास अपनी परियोजना को प्रमाणित करने के सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होना चाहिए।

(iii) संगठन वित्तीय रूप से व्यवहार होना चाहिए और उसके पास पिछले तीन वर्षों से कोई घाटे का लेखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पिछले तीन वर्षों के विधिवत रूप से लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

(iv) संस्थान को नीति आयोग पोर्टल अर्थात् http://ngodarpan.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए।

(v) संगठन के पास विरासत के संरक्षण और क्यूरेटिंग से संबंधित कम से कम एक परियोजना हो, जो इस मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत निर्धारित क्रियाकलापों के अनुरूप हो।

(vi) एजेंसी या इसका मालिक किसी बैंकिंग/वित्तीय संस्थान द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो।

(vii) संगठन या इसका कोई अध्यक्ष किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषी न ठहराया हो। इस खण्ड के समर्थन में नोटरी द्वारा प्रमाणित एक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(viii) नीति आयोग या किसी केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग/एजेंसी द्वारा सूची से निकाली गई फर्म/संगठन/संस्थान स्वीकार्य नहीं होगा।

3. चयन के लिए मापदण्ड

(i) प्रस्ताव पात्रता मापदण्ड के आधार पर मंत्रालय द्वारा पहले देखा जाएगा और आगे जांच के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(ii) परियोजना अनुमोदन समिति के सदस्यों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य या उनके प्रतिनिधि और सांस्कृतिक मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगें।

(iii) समिति इस बात का मूल्यांकन करेगी कि क्या प्रस्ताव में दर्शाया गया क्रियाकलाप विरासत के क्षेत्राधिकार में आता है।

(iv) समिति प्रस्ताव की जांच करते समय सामान्य रूप से यह निर्णय लेने के लिए कि मद **"विरासत"** के मानदण्डों के भीतर आती है, निम्नलिखित मापदण्ड का अनुसरण करेगी:

(क) संरक्षण के लिए प्रस्तावित मद भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की पुरानी संस्कृति को दर्शाने वाली होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित मद मानव प्रतिभा के मास्टरपीस को दर्शाने वाली होनी चाहिए।

(ग) इसे एक समय अवधि के दौरान या देश के किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर सभ्यता, वास्तुशिल्प, साहित्य, दस्तावेजों, स्मारकीय कलाओं/शिल्पों, डिजाइन इत्यादि की उत्पत्ति और विकास पर मानव मूल्यों के पारस्परिक बदलाव को प्रदर्शित करना चाहिए।

(घ) इसे समुदाय के इतिहास के महत्वपूर्ण स्तरों का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।

(ङ) इसे पारंपरिक संस्कृति या सामुदायिक आदान–प्रदान विशेषकर जो एक समय अवधि के दौरान संवेदनशील बन गयी हो का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।

(च) इसे प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से घटनाओं या जीवंत परंपराओं, विचारों या विश्वासों, उत्कृष्ट विश्वस्तरीय महत्व के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों से संबद्ध होना चाहिए।

(छ) प्रस्तावित मद/क्रियाकलाप का संरक्षण, प्रबंधन, प्रमाणिकता और अखण्डता भी महत्वपूर्ण होगा।

स्पष्टीकरण : ''मद'' शब्द उस संस्थान को भी व्यक्त कर सकता है जो (क) में निर्धारित अवधि में विरासत और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहा हो।

(v) समिति द्वारा प्रस्ताव के विरासत मूल्य का एक बार निर्धारण किए जाने के बाद उसके द्वारा परियोजना की लागत निर्धारित की जाएगी।

(vi) ''हमारी धरोहर'' के अधीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को आवेदन करते समय संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने उसी मद या परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी संगठन से वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया है।

4. परियोजनाओं की निदर्शी सूची जिनपर योजना के अधीन विचार किया जा सकता हैः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विरासत के संरक्षण के लिए चुनिंदा हस्तक्षेप पर विचार करेगा और इसमें निम्नलिखित तरह की परियोजनाएं आ सकती है।

क. विरासत को प्रदर्शित करने और संरक्षण के लिए आईकोनिक प्रदर्शिनियों/नृत्य–कला सहित क्यूरेटिंग प्रदर्शनियां।

ख. कैलीग्राफी और संबंधित शिल्पों को सहायता देना।

ग. साहित्य, दस्तावेज, पाण्डुलिपि आदि का संरक्षण।

घ. मौखिक परंपराओं/कला विधाओं का प्रलेखन।

ङ. अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत को प्रदर्शित एवं संरक्षित करने हेतु 'एथनिक संग्रहालयों' (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसकी निकायों की योजनाओं के अंतर्गत जिन्हें सहायता न मिली हो) के लिए सहायता देना।

च. विरासत से संबंधित सेमीनारों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहायता।

छ. विरासत के सरंक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति।

ज. अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों/संस्थानों को अन्य कोई सहायता।

5. योजना के अधीन मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदत्त सभी परियोजनाएं जहां लागू होगा, जनता के लिए खुली होंगीं।

6. आवेदन के लिए प्रक्रिया का योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 9.1 के अनुसार अनुसरण किया जाएगा।

*****